222

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:भूआ/सब/भूकर/11/8/1/85/पार्ट-III/ 925   दिनांक 28.3.2001

<u>प रि प त्र</u>

राज्य के विभिन्न भू-प्रबन्ध दलों के निरीक्षण के दौरान फील्ड स्टाफ (भूमापक/निरीक्षकों) द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान हेतु तत्सम्बन्धी पूर्व प्रसारित परिपत्रों को निरस्त करते हुए निम्न प्रकार से निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) सड़क, पुल, रेलवे लाईन व आम रास्ते आदि का मौके के अनुसार सर्वेक्षण किया जाकर भू-अभिलेख में अंकन किया जाए। तदनानुसार रकबे के कमी/बेशी का अंकन भी कर लिया जावे।

(2) यदि कृषक कृषि-कार्य अथवा अपनी सुविधा के लिए कोई निर्माण कार्य निर्धारित क्षेत्र में करता है तो किस्म जमीन(भूमिवर्ग)परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है।

(3) भवन, धर्मस्थान, उद्यान, नरसरी, विद्यालय, औषधालय या अन्य राजकीय प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई भूमि का वर्ग तदनानुसार अंकित किया जावे।

(4) सिवायचक भूमि पर बनाये गये बाड़े को मानचित्र में दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु जमाबन्दी के अनुसार उनका विवरण रकबे के कॉलम में खोल दिया जावे।

(5) यदि ग्राम की आबादी से लगती हुई भूमि पर मकान आदि का निर्माण कर लिया गया है अथवा वॅर्गमीटर के आधार पर भूमि का स्थानान्तरण किया गया है तो ऐसी भूमियों को आबादी के खसरे नम्बर में शामिल करते हुए भूम अभिलेख तैयार किया जावे।

(6) यदि कोई भूमि कृषि-योग्य थी वह जल प्रवाह के पेटे में (नदी, नाले आदि में) आ गई है तो उसे गैरमुमकिन नदी, नाला आदि एवं यदि कोई भूमि जल-प्रवाह द्वारा छोड़ने के पश्चात् मिट्टी आदि के जमाव भराव के कारण उत्पन्न हुई है तो उस भूमि को कछार भूमि वर्ग दिया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में काश्तकार की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जावे परन्तु उसे कोष्ठक में लिखा जावे तथा प्रकरण बनाकर सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिया जाए।

(7) यदि किसी खसरा नम्बर का जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल नक्शे/मौके पर दर्शाये गये क्षेत्र की तुलना में कम है और यदि कमी वाला रकबा सीमावर्ती खेत/खेतों में उपलब्ध है तो उन खेतों से रकबा कम किया जाकर कमी रकबे की पूर्ति की जावे। ऐसे उन खसरा नम्बरान जिनमें उक्त कमी वाला क्षेत्रफल सम्मिलित था और अब जिसे कमी वाले क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है के लिए कोई बटा नम्बर नहीं डाला जावेगा।

(8) यदि किसी खसरा नम्बर का जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल मौके/नक्शे में दर्शाये गये क्षेत्रफल की तुलना में कम है और ऐसा कमी वाला क्षेत्रफल सीमावर्ती खसरा नम्बरान में भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में जमाबन्दी में अंकित रकबे को यथावत खसरा प्रपत्र के क्षेत्रफल के कालम में अंकित किया जावे एवं उसके नीचे उसी कालम में वास्तविक रकबा कोष्ठक में अंकित कर दिया जावे। ऐसे वास्तविक रकबे को ही योग में सम्मिलित किया जावे। उपरोक्त स्थिति पाये जाने पर विशेष विवरण के कालम में निम्नलिखित नोट अंकित किया जावे:-

--2

"कमी वाला रकबा---------------सीमावर्ती खसरा नम्बरान में उपलब्ध नहीं है।"

ऐसे प्रकरणों की सूची बनाई जाकर सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रेषित की जावे।

§ 9 § यदि कोई ग्राम बेचिराग §गैर आबाद§ हो जाता है तो ऐसी भूमि का भूमि वर्ग गैर मुमकिन सिवायचक ही दर्ज किया जावे।

§ 10 § चरागाह, वन विभाग आदि अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-16 में दर्शाई गई भूमियों पर/अथवा उसके कुछ हिस्से पर यदि कृषि किया जाना मौके पर पाया जावे तो ऐसी भूमि का भूमिवर्ग यथावत रखा जावे, लेकिन उसके नीचे कोष्ठक में अनाधिकृत चाही/बारानी आदि दर्ज किया जावे। ऐसे प्रकरणों की सूची तैयार कर सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को प्रेषित करदी जावे।

§ 11 § यदि कोई नया ग्राम किसी भूमि पर बस जाता है तो ऐसी भूमि का भूमिवर्ग गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जावे। ऐसे प्रकरणों में काश्तकार की श्रेणी को यथावत रखते हुए कोष्ठक में लिखा जावे तथा सूची बनाई जाकर सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को अविलम्ब कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

§ 12 § ऐसी भूमियां जिनका भूमि वर्ग मौके पर जमाबन्दी में अंकित भूमिवर्ग के विपरीत पाया जाता है तो पूर्व जमाबन्दी में दिये गये भूमिवर्ग को पूर्ववत अंकित करते हुए उसके नीचे कोष्ठक में अनाधिकृत शब्द अंकित करते हुए मौका अनुसार भूमिवर्ग अंकित किया जावे। जैसे-अनाधिकृत, खदान आदि।

अतः उक्त निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करावें।

(signature)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-सन्लेखक/ 930-943 दिनांक:- 28-3-2001

प्रतिलिपि:-भू-प्रबन्ध अधिकारी-जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, सिरोही, टोंक, कोटा, सीकर, अजमेर।

(signature)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

राजेन्द्र/